<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 735 / 2011

संस्थापन दिनांक 15.09.2011

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

बनाम

बृजेशसिंह पुत्र किशनसिंह राजावत उम्र 19 साल निवासी ग्राम बबेड़ी थाना देहात जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनाकका धारित	(आज	दिनांकक	गे	घोषित	C
--------------------	------	---------	----	-------	---

- उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 08.05.11 को 03:00 बजे दिन में अमायन रोड असोहना तिराहा के पास फरियादी कमलिसंह अ0सा04 के अधिपत्य की मोटरसाइकिल डिस्कवर कमांक एम0पी0—30—एम.डी.—8116 को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बिना उसकी सम्मित के बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक दिनांक 08.05.11 को फरियादी कमलिसंह अ०सा०४ मी से वापिस अपने गांव स्थित अमायन अपनी मोटरसाइकिल डिस्कवर काले रंग की 150 सी.सी. क्रमांक एम०पी०—30—एम.डी. —8116 से जा रहा था उसकी मोटरसाइकिल पर नंबर नहीं डला था तब अमायन रोड पर असोहना तिराहे से पहले वह मोटरसाइकिल को रोड के किनारे खड़ा करके भगवानिसंह कुशवाह के ट्यूबैल की तरफ शौच के लिए गया जब वह वापिस आया तब मोटरइकिल नहीं मिली फिर प्रेमिसंह अ०सा०५ और बृजेन्दिसंह आ गये जिन्हें फिरयादी ने घटना की जानकारी दी। तत्पश्चात फिरयादी कमलिसंह अ०सा०४ ने थाना मो में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी—3 दर्ज कराई फिरयादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना मो में अप०क० 98/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना में पाया गया कि चुराई गयी मोटरसाइकिल थाना

भारौली के अप०क0 16/11 में प्रयोग की गयी है और उक्त अपराध में आरोपी के अधिपत्य से मोटरसाइकिल कमांक एम0पी0-30-एम.डी.-8116 जप्त हुई। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्याालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी ने घटना दिनांक 08.05.11 को 03:00 बजे दिन में अमायन रोड असोहना तिराहा के पास फरियादी कमलसिंह अ0सा04 के अधिपत्य की मोटरसाइकिल डिस्कवर कमांक एम0पी0—30—एम.डी.—8116 को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बिना उसकी सम्मति के बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की ?

//विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष //

- कमलसिंह अ०सा०४ ने कथन किया है कि वर्ष 2011 में वह मौ से ग्रीम पचरौली डिस्कवर 150 सीसी काले रंग की मोटरसाइकिल से लौट रहा था 💁 तब एक पेड के नीचे चार लोग मुंह बांधे खड़े थे और उन्होंने रोड पर आड़ी गाडी लगा दी थी जैसे ही उसने गाडी रोकी उन्होंने मोटरसाइकिल की चाबी और मोबाइल ले लिए और उसे थप्पड़ मारकर गाडी ले गये फिर ग्राम रामपुर पर एक टैक्टर से आकर उसने घर पर घटना की सूचना दी जहां से एक लड़का आया फिर उसने थाना मौ जाकर एफआईआर प्र0पी-3 कराई थी। पुलिस उसे ह ाटनास्थल पर लेकर गयी थी नक्शामौका प्र0पी-4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 08.05.11 को वह अमायन रोड पर असोहना तिराहे के पास मोटरसाइलि क्रमांक एम0पी0-30-एम.डी.-8116 को खडी करके शौच के लिए गया था और जब लौटकर आया तो मोटराइकिल चोरी हो गयी थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी–5 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः फरियादी कमलसिंह अ0सा04 ने स्वयं की मोटरसाइकिल चोरी होने से इंकार कर अभियोजन मामले के विपरीत मोटरसाइकिल लूटी जाने का कथन किया है।
- 6. प्रेमसिंह अ०सा०५ ने मुख्यपरीक्षण में कमलसिंह अ०सा०४ के कथन का समर्थन किया है कि जब वह घर पर था तब कमलसिंह अ०सा०४ ने घटना की सूचना दी फि वह कमलसिंह अ०सा०४ को लेने आया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि कमलसिंह अ०सा०४ मोटरसाइकिल कमांक एम०पी०—30—एम.डी.—8116 को खड़ी करके शौच के लिए गया था और जब लौटकर आया तब मोटरसाइकिल चोरी हो गयी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी—6 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः प्रेमसिंह ने भी अनुश्रुत साक्षी के रूप में न्यायालयीन कथन किए हैं जबिक अभियोजन मामले में यह साक्षी फरियादी के साथ ही होना वर्णित किया

गया है और इस साक्षी ने भी कथन प्र0पी—6 में चोरी के अपराध से भिन्न लूट की अनुश्रुत साक्ष्य दी है।

- 7. नवरंग अ०सा०१ ने एवं रामेन्द्र द्विवेदी अ०सा०३ ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि दिनांक ०१.०८.११ को आरोपी की न्यायालय में गिरफतारी पचंनामा प्र०पी—१ के अनुसार औपचारिक गिरफतारी की थी जिसके ए से ए भाग पर नवरंग अ०सा०१ के और बी से बी भाग पर रामेश्वर अ०सा०३ के हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपी ने स्वेच्छा से बताया था कि दिनांक ०८.०५.११ को अमायन रोड असौहना तिराहे से प्राप्त डिस्कवर मोटराइकिल का उपयोग उसने दिनांक १७.०५.११ को टक लूटने में किया था जो दिनांक २५.०५.११ को पुलिस थाना भारौली द्वारा जप्त किया गया है जिसका मैमोरेण्डम प्रपी—2 है जिसके ए से ए भाग पर नवरंग अ०सा०१ के और बी से बी भाग पर रामेश्वर अ०सा०३ के हस्ताक्षर हैं। रामेश्वर ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि मैमोरेण्डम प्र०पी—2 उसके सामने तैयार नहीं किया गया था। वीरेन्द्र अ०सा०२ ने कथन किया है कि दिनांक ०१.०८.११ को उसके समक्ष आरोपी को गिरफतारी पत्रक प्र०पी—1 के अनुसार गिरफतार किया था और आरोपी ने उसके समक्ष मैमोरेण्डम प्र०पी—2 दिया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 8. फरियादी कमलिसंह अ०सा०४ ने मुख्यपरीक्षण में अपने वाहन का रिजस्टेशन कमांक अथवा पहचान स्पष्ट करने के लिए इंजन कमांक व चेसिस कमांक नहीं बताया है और न ही अभियोजन ने इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है कि अभिलिखित रूप से जप्त वाहन का स्वामी कमलिसंह अ०सा०४ ही है। अतः जिस वाहन की जप्ती का अभियोजन आरोपी का है वह वाहन ही फरियादी के स्वत्व का चोरी गया वाहन है इस संबंध में अभियोजन साक्ष्य मौन है।
 - कमलिसंह अ०सा०४ ने न्यायालयीन साक्ष्य में मोटरसाइकिल चोरी होने के तथ्य से स्पष्ट इंकार किया है अपितु कथन प्र०पी—5 से भिन्न चार व्यक्त्यों द्व ारा अभियोजित घटनास्थल से अन्य स्थान पर वाहन लूटना बताया है जोकि तात्विक विरोधाभास है क्योंकि वह अपराध की प्रकृति बदलता है। प्रेमसिंह अ०सा०5 ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और उसने भी चोरी के अपराध से इंकार किाय है अतः उक्त दोनों महतवपूर्ण साक्षीगण द्वारा ही वाहन चोरी के अपराध से इंकार किया गया है। अतः उक्त दोनों साक्षीगण ने अतिरंजनापूर्ण साक्ष्य दी है। जिससे उनके कथन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है।
- 10. अतः जप्त वाहन ही चुरायी गयी वस्तु है यह साबित करने के लिए अभियोजन साक्ष्य पेश नहीं की गयी है स्वयं फरियादी ने चोरी के अपराध से इंकार किया है। साक्षी नवरंग अ0सा01 और साक्षी रामेन्द्र अ0सा03 व वीरेन्द्र अ0सा02 ने अभिरक्षा में आरोपी द्वारा मैमोरेण्डम प्र0पी—2 के अनुसार जानकारी दिया जाना बताया है लेकिन न्यायालयीन साक्ष्य में वीरेन्द्र अ0सा02 ने कोई जानकारी देने से इंकार किया है। उक्त जानकारी के आधार पर चुराई गयी वस्तु जप्त नहीं हुई है अपितु उक्त जानकारी पूर्व के अपराध के संबंध में है।
- 11. अतः वर्तमान में विचारण में सुसंगत नहीं है। आरोपी के अधिपत्य से चुराई गयी वस्तु जप्त होने के संबंध में अभियोजन ने कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है अतः प्रथमतः जबिक चोरी का अपराध कारित होना ही फरियादी के कथन से स्पष्ट नहीं है और सामान्य उपयोग की चुराई गयी वस्तु की कोई विशिष्ट पहचान के संबंध में भी अभियोजन साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है और आरोपी से वाहन जप्त होने के संबंध में मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य

अभिलेख पर नहीं है तब अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी दिनांक 08.05.11 को 03:00 बजे दिन में अमायन रोड असोहना तिराहा के पास फरियादी कमलसिंह अ०सा०४ के अधिपत्य की मोटरसाइकिल डिस्कवर कर्माक एम०पी०-30-एम.डी.-8116 को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बिना उसकी सम्मति के बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाकर चोरी कारित की।

परिणामतः आरोपी को धारा 379 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित 12. किया जाता है। आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। ग्रनी /

ELIMINA PRESIDENT END AND PROPERTY OF THE PROP

13.

दिनांक :-

सही/-(गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र0